



राजस्थान सरकार  
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग  
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाईट : [rscdrc.food.rajasthan.gov.in](http://rscdrc.food.rajasthan.gov.in), मेल आई.डी. [raj-sforum@nic.in](mailto:raj-sforum@nic.in), दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक:—एफ 5(12)रा.आ./स्था./स.बै./2018/3009

दिनांक: 29/10/21

आदेश

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर की सर्किट बैंच, उदयपुर संभाग मुख्यालय पर प्रत्येक माह के तृतीय सप्ताह में आयोजित की जा रही है। राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 89 (27)उ.मा.वि./उ.सं./15 के परिप्रेक्ष्य में, निर्देशानुसार सर्किट बैंच उदयपुर की अवधि (तृतीय सप्ताह) को विस्तारित करते हुए अब प्रत्येक माह के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में उदयपुर मुख्यालय पर सर्किट बैंच आयोजित करने का आदेश दिया जाता है। उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होगा। सभी अधिवक्तागण, पक्षकार व अन्य सम्बन्धित सूचित रहे।

(अनीश दाधीच)

रजिस्ट्रार

दिनांक 29/10/21

क्रमांक एफ 5 (12)रा.आ./स्था./स.बै. उदयपुर/3010-3029

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर।
2. माननीय सदस्य न्यायिक/गैर न्यायिक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर।
3. शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच उदयपुर को उक्त बाबत समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करावे।
5. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, उदयपुर, प्रतापगढ, जूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ, राजसमंद को सूचनार्थ उचित कार्यवाही हेतु व नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने एवं सम्बन्धित बार, अध्यक्ष को सूचित करावे।
6. अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर।
7. अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, उदयपुर, प्रतापगढ, जूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ, राजसमंद।
8. प्रभारी, कम्प्युटर शाखा को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

(अनीश दाधीच)

रजिस्ट्रार